WR

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/3334/2003/सवाईमाधोपुर

1.हरकेश पुत्र स्व. श्री जोहरया
2.शंकर लाल पुत्र स्व. श्री जोहरया
3.ख्यालीराम पुत्र स्व. श्री जोहरया
4.कान जी पुत्र स्व. श्री जोहरया
5.रामचन्द्र पुत्र स्व. श्री जोहरया
6.मु. रामबाई बेबा स्व.श्री जोहरया
7. कोंरया पुत्र स्व. श्री नानगा
जाति मीणा निवासी ग्राम रमजानीपुरा तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर

अपीलार्थी

बनाम

1. मोहरपाल
2. हीरालाल पुत्रान नानगा जाति मीणा निवासी ग्राम रमजानीपुरा तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास जिला सवाईमाधोपुर

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री खडग सिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री जगदीश प्रसाद माथुर अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 30.7.2018

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 2–7–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा वाद अदम सबूत में दिनांक 12–7–2001 को खारिज किया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 2–7–03 के द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हुये प्रत्यर्थीगण का वाद वरूए राजीनामा डिक्री कर विचारण न्यायालय को निर्देश दिये कि वह तहसीलदार से बटवारा स्कीम प्राप्त कर बटवारा करते हुये प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी करें। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 6 के हक पूर्वाधिकारी स्व. श्री जोहरया पुत्र नानगा मीणा की तन्हा खातेंदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। मोहरपाल व हीरालाल प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 का वादग्रस्त आराजी से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा। विचारण न्यायालय के समक्ष जोहरया पुत्र नानगा व कोरया पुत्र नानगा ने कभी कोई राजीनामा नहीं किया। तथाकथित राजीनामा पूर्णतः फर्जी दस्तावेज है। जोहरिया के जो तथाकथित हस्ताक्षर राजीनामे पर अंकित थे वह फर्जी हैं। जोहरया पुत्र नानगा का स्वर्गवास हो

चुका है। अपीलार्थी संख्या 7 कोरया ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा कोई दावा, राजीनामा व अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। वादग्रस्त आराजी न तो कभी पैतृक रही और न ही संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की स्थिति के आधार पर जोहरया के नाम अंकित रही। प्रारम्भ से ही वादग्रस्त भूमि अकेले जोहरया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जो तथाकथित राजीनामा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उस पर दिनांक 10–2–98 की तारीख प्रस्तुत किये जाने की अंकित है। राजीनामा की भाषा के नीचे अकेले जोहरी लाल के हस्ताक्षर बनाये गये हैं और आवेदन पत्र की पुश्त पर जोहरी लाल व मोहरपाल के हस्ताक्षर तथा हीरा लाल व कोरया की अंगूठा निशानी अंकित है। तस्दीक की भाषा दिनांक 20–2–98 को दर्ज की गई। उक्त राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया जाना सम्भव नहीं था। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 2–7–03 निरस्त किये जावें। अपने कथन के समर्थन में डी एन जे 2003(1) पेज 50,1995(2) आर बी जे 668,1999 आर बी जे सपेज 341 की नजीरें पेश की।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि जहां पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को वाद खारिज नहीं कर डिक्री करना चाहिये। विचारण न्यायालय के समक्ष जो राजीनामा पेश किया गया है उस पर जोहरया व मोहरपाल के हस्ताक्षर हैं तथा हीरा लाल व कोरिया की अंगूठा निशानी अंकित है। वादीगण को श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट व प्रतिवादीगण को सुश्री विजय सेठी एडवोके ने शिनाख्त करके राजीनामा तस्दीक किया गया है। इसलिये अपीलार्थी राजीनामे से मुकर नहीं सकते। अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि अनुकूल है। इसलिये अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में सिविल अपील

10755/2013 एस सी दलजीत सिंह बनाम मुख्तार स्टील प्रा. लि. व अन्य की नजीर पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के न्यायालय में दिनांक 10-2-98को राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारान में पांच आदमियों के समझाने से व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है पक्षकारान अब मुकदमा लडना नहीं चाहते हैं। राजीनामा मोहरपाल,कौरया, हीरालाल व जोहरया की ओर से पेश किया गया है। जोहरी लाल की शिनाख्त दिनांक 10-2-98 को शरत चन्द सेठी अधिवक्ता ने की है व दिनांक 20-2-98 को विजय सेठी ने की है। जोहरी लाल की ओर से प्रस्तुत वकालतनामे पर शरत चन्द सेठी व विजय सेठी के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 10-23-98व दिनांक 20-2-98दोनेां ही दिन जोहरी लाल के अधिवक्ता उपस्थित थें। मोहरपाल,कौरया व हीरा लाल के अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार शर्मा हैं उनकी ओर से वकालतनामा है जिस पर मोहरपाल के हस्ताक्षर हैं तथा हीरा लाल व कौरया के अंगूठा निशानी है। जिससे यह स्पष्ट है कि राजेन्द्र कुमार शर्मा की उपस्थिति में राजीनामा तस्दीक किया है। राजीनामा तस्दीक होने के बाद उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 12-7-2001 को दावा अदम सबूत में खारिज किया है। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्षे कोरिया की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने न्यायालय में अपील पेश नहीं की है। इस अपील पर प्रार्थी ने कोई हस्ताक्षर नहीं किये। प्रार्थी ने उक्त अपील पर जो हस्ताक्षर किये हैं वह फर्जी हैं। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी में भी मोहरपाल बनाम जोहरया दावा नम्बर 851/97 भी पेश नहीं किया न ही उक्त दावे पर हस्ताक्षर किये हैं। कोरया की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जो दावा पेश किया गया है उसमें कोरया के अंगूठा निशानी है एवं कोरिया की ओर से जो राजीनामा दिनांक 10–2–98को पेश किया गया है उसमें भी हस्ताक्षर न होकर अंगूठा निशानी है। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष जो कोरिया की ओर से जरिये अधिवक्ता हनुमानदास मित्तल प्रार्थना पत्र पेश किया उस प्रार्थना पत्र व वकालतनामा दोनों पर अंगूठा निशानी है। दावे में कोरिया की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्रकुमार के अभिभाषक पत्र पर कोरिया की अंगूठा निशानी है तो समस्त दस्तावेज जो कोरिया की ओर से उपखण्ड अधिकारी व राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों पर अंगूठा निशानी होने से इस तर्क को कि उसके हस्ताक्षर नहीं है, बल नहीं मिलता क्योंकि सभी जगह अंगूठा निशानी है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के न्यायालय में जब नियम 23(3) के अन्तर्गत राजीनामा पेश हो गया और पक्षकारों की शिनाख्त कर उसको तस्दीक किया जा चुका था तो न्यायालय का यह कर्तव्य था कि राजीनामा के अनुसार डिक्री पारित करे। न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किये जाने के उपरान्त न्यायालय के विवेकाधीन कोई आदेश नहीं रहता है। न्यायालय को डिक्री बनाना न्यायालय का कर्तव्य था। न्यायालय द्वारा जब राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है तो उस प्रकरण में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण को अदम सबूत में खारिज नहीं किया जा सकता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नियम 23(3) के अन्तर्गत जो राजीनामा तस्दीक किया जाता है वह अपीलेबल नहीं है। राजीनामे को अपील में निरस्त नहीं किया जा सकता है। राजीनामा को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त किया जा सकात है जब राजीनामा कपट धोखे या ऐसा राजीनामा जो क्षेत्राधिकार या

विधि द्वारा वर्जित हो,उनको सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त कराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तस्दीक राजीनामें में डिक्री पारित नहीं कर उसको अदम सबूत में खारिज किया जाना उपखण्ड अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता के ज्ञान का अभाव प्रतीत होता है। उपखण्ड अधिकारी ने उक्त निर्णय पारित करने में घोर लापरवाही बरती गई है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण उसमें हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील 10755/2013 एस सी दलजीत सिंह बनाम मुख्तार स्टील प्रा.लि. व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Civil Appeal No. 10755/2013 (S.C)

Daljit Singh and other Vs Muktar Steels Pvt. Ltd and other

14. The pivotal issue that arises for consideration is whether in the present case the appeal could have been preferred against the judgment and decree passed by the learned trial Judge. As is evincible, the lower appellate court as well as the High Court has placed reliance on Pushpa Devi Bhagat (supra) to come to hold that the appeal was not maintainable. In Pushpa Devi Bhagat (supra) a two-Judge Bench, dealing with a contention canvassed for the first time before this Court that the appeal before the first appellate court or before the High Court was not maintainable as there was a consent decree, permitted the contention to be raised and heard both parties on that score. In the context, it referred to Rules 3 and 3-A of Order XXIII and analyzing the said provisions summed up the statement of law emerging from Order XXIII that

(i) no appeal is maintainable against a consent decree having regard to the specific bar contained in Section 96(3) CPC; (ii) no appeal is maintainable against the order of the court recording the compromise (or refusing to record a compromise) in view of the deletion of clause (m) of Rule 1 Order XLIII; (iii) no independent suit can be filed for setting aside a compromise decree on the ground that the compromise was not lawful in view of the bar contained in Rule 3-A; and (iv) a consent decree operates as an estoppel and is valid and binding unless it is set aside by the court which passed the consent decree, by an order on an application under the proviso to Rule 3 Order XXIII. Thereafter the learned Judges proceeded to state thus: -

"... the only remedy available to a party to a consent decree to avoid such consent decree, is to approach the court which recorded the compromise and made a decree in terms of it, and establish that there was no compromise. In that event, the court which recorded the compromise will itself consider and decide the question as to whether there was a valid compromise or not. This is so because a consent decree is nothing but contract between parties superimposed with the seal of approval of the court. The validity of a consent decree depends wholly on the validity of the agreement or compromise on which it is made. The second defendant, who challenged the consent compromise decree was fully aware of this position as she filed an application for setting aside the consent decree on 21.8.2001 by alleging that there was no valid compromise in accordance with law. For reasons best known to herself, the second defendant within a few days thereafter (that is on 27.8.2001) filed an appeal and chose not to pursue the application filed before the court which passed the consent decree. Such an appeal by the second defendant was not maintainable, having regard to the express bar contained in Section 96(3) of the Code."

Section 89 CPC

89. **Settlement of disputes outside the Court - (**1) Where it appears to the Court that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the Court shall formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observations and after receiving the observations of the parties, the Court may re-formulate the terms of a possible settlement and refer the same for-

(a) arbitration;

(b) conciliation;

(c) judicial settlement including settlement through Lok Adalat; or

(d) mediation.

(2) Where a dispute has been referred-

(a) for arbitration or conciliation, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) shall apply as if the proceedings for arbitration or conciliation were referred for settlement under the provisions of that Act; 200

(b) to Lok Adalat, the Court shall refer the same to the Lok Adalat in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 20 of the Legal Services Authority Act, 1987 (39 of 1987) and all other provisions of that Act shall apply in respect of the dispute so referred to the Lok Adalat;

(c) for judicial settlement, the Court shall refer the same to a suitable institution or person and such institution or person shall be deemed to be a Lok Adalat and all the provisions of the Legal Services Authority Act, 1987 (39 of 1987) shall apply as if the dispute were referred to a Lok Adalat under the provisions of that Act;

(d) for mediation, the Court shall effect a compromise between the parties and shall follow such procedure as may be prescribed. Thus the court can refer the parties to arbitrat

आदेश 23 नियम 3 जाब्ता दीवानी में यह प्रावधित किया गया है कि–

Order 23 Rule 3 CPC
"3. **Compromise of suit**.- Where it is proved to the satisfaction of the Court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise in writing and signed by the parties, or where the defendant satisfies the plaintiff in respect of the whole or any part of the subject matter of the suit, the Court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded, and shall pass a decree in accordance therewith (so far as it relates to the parties to the suit, whether or not the subject matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as the subject matter of the suit)

Provided that where it is alleged by one party and denied by the other that an adjustment or satisfaction has been arrived at, the Court shall decide the question; but no adjournment shall be granted for the purpose of deciding the question, unless the Court, for reasons to be recorded, thinks fit to grant such adjournment. Explanation--An agreement or compromise which is void or voidable under the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), shall not be deemed to be lawful within the meaning of this rule."

8. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 आर बी जे पेज341 में राजीनामे के आधार पर डिक्री पारित करने के लिये इस आधार पर इन्कार किया गया है कि राजीनामा वाद पत्र में अंकित अभिवचनों के विपरीत था। क्योकि वाद पत्र में तो वादी ने वादग्रस्त भूमि में 1/4हिस्सें की घोषणा का वाद किया है जबकि राजीनामे के अनुसार वह उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा स्वयं प्राप्त कर रहा है। आर बी जे 1995(2) पेज668 में राजीनामा मौजूदा अपीलार्थीगण द्वारा नहीं किय जाने के कारण मान्य नहीं किया है। इसी प्रकार 2003(1)डी एन जे राज.50 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कभी मामले को समझौते के आधार पर अभिनिर्धारित किया जावे तो जांच किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त कर समझौते की वास्तविकता का पता लगाने हेतु जांच गठित कर नया आदेश पारित करने के लिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। उक्त तीनों नजीरें वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के अधिवक्तागण

द्वारा पक्षकारों की शिनाख्त कर न्यायालय ने राजीनामे को तस्दीक किया गया है। इसलिये अब कोई भी पक्षकार यह कथन करने के लिये बाध्य है कि उसके द्वारा राजीनामा नहीं किया गया।

९. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। चूँकि प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायलय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह तहसीलदार से बटवारा स्कीम प्राप्त कर उस पर पक्षकारों को अपनी आपति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण का अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20–8–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष